संख्या-45/2024/2071/77-6-2024-01(केस-टू-केस/IIEP-2022)/2024

प्रेषक,

अनिल कुमार सागर,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
इन्वेस्ट यू0पी0।

औद्योगिक विकास अनुभाग-6 **लखनऊ : दिनांक 30 अगस्त, 2024**

विषयः उ0प्र0 औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2022 के अन्तर्गत प्रदेश में अल्ट्रा मेगा श्रेणी के औद्योगिक इकाईयों हेतु केस-टू-केस आधार पर कस्टमाइज्ड प्रोत्साहन पैकेज अनुमन्य किये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-335/IUP/SKS/2024-25, दिनांक 24.06.2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा उ0प्र0 औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2022 के प्रस्तर-12.4 के अन्तर्गत प्रदेश में विशेष महत्व की अल्ट्रा मेगा श्रेणी में मेसर्स अवाडा इलेक्ट्रो प्रा0लि0 द्वारा प्रस्तावित परियोजना के क्रम में केस-टू-केस आधार पर आवेदित कस्टमाइज्ड प्रोत्साहन पैकेज अनुमन्य किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- आप द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव का संक्षिप्त विवरण निम्नवत है-

कंपनी/स्थान/क्षेत्र	**निवेश (₹ करोड़)**	**श्रेणी**	**आवेदन की तिथि**	**नोडल एजेन्सी स्तर पर गठित मूल्यांकन समिति की बैठक की तिथि**
अवाडा इलेक्ट्रो प्रा. लि. ग्रेटर नोएडा (गौतमबुद्धनगर) एवं हाथरस (पश्चिमान्चल)	11399.00	अल्ट्रा मेगा	23.08.2023	01.05.2024

3- प्रश्नगत परियोजना भविष्य की टॉप-कॉन प्रोद्योगिकी की स्थापना सहित उत्तर प्रदेश में सौर मॉड्यूल विनिर्माण इकाई विकसित करने की परियोजना राज्य की अर्थव्यवस्था को 1

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

ट्रिलियन डॉलर के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है। परियोजना का अनुमानित निवेश ₹3000 करोड़ से अधिक है, जिसमें 4,500 का प्रत्यक्ष रोजगार सम्भावित है। यह परियोजना हरित ऊर्जा की सहायता से 5 गीगावाट की क्षमता वाले सौर मॉड्यूल्स के विनिर्माण हेतु है। स्थापना के उपरांत यह ऐसे वृहद् स्तर पर सौर इंगोट एवं वेफर का विनिर्माण करने वाली उत्तर प्रदेश की एकमात्र परियोजना होगी। इसके अतिरिक्त, वर्तमान परिदृश्य के अनुसार इंगोट सौर विनिर्माण में संयुक्त राज्य अमेरिका का तकनीकी प्रभुत्व है, तथा चीन उत्पादन एवं आपूर्ति श्रृंखला में अग्रणी है। परियोजना भारत सरकार के आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना के अनुरूप है तथा हरित ऊर्जा उपकरणों के आयात पर देश की निर्भरता को कम करने एवं सीओपी-28 दुबई में निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

4- उपर्युक्तानुसार मेसर्स अवाडा इलेक्ट्रो प्रा0लि0 द्वारा प्रस्तावित परियोजना की रणनीतिक महत्ता के दृष्टिगत उ0प्र0 औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2022 एवं तदनुक्रम में निर्गत शासनादेश संख्या-21/2023/1307/77-6-2023-2(एम)/2022 दिनांक 14.04.2023 में वर्णित प्राविधान तथा शासनादेश संख्या-1590/77-6-2024/6/8/2023, दिनांक 23 जुलाई, 2024 द्वारा निर्गत कार्यवृत्त में उल्लिखित मत एवं अधोलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन एतद्द्वारा श्री राज्यपाल केस-टू-केस आधार पर निम्नवत विशेष कस्टमाइज्ड प्रोत्साहन पैकेज पर सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

मेसर्स अवाडा इलेक्ट्रो प्रा0लि0 द्वारा वांछित प्रोत्साहन मांग		**शासन द्वारा अनुमन्य कस्टमाइज्ड प्रोत्साहन पैकेज के अधीन अनुमन्य वित्तीय प्रोत्साहन/सुविधायें/छूट**
अ. वित्तीय प्रोत्साहन		
1	सौर मॉड्यूल विनिर्माण परियोजना हेतु भूमि की वास्तविक लागत की 75 प्रतिशत भूमि सब्सिडी।	संस्तुत
2	दोनों सौर मॉड्यूल विनिर्माण परियोजना हेतु स्टाम्प ड्यूटी में 100 प्रतिशत की छूट।	संस्तुत
3	50 प्रतिशत पूंजीगत सब्सिडी प्रोत्साहन (5 वार्षिक किश्तों में)	संस्तुत पात्र पूंजी निवेश* के 30 प्रतिशत की पूंजीगत सब्सिडी (ग्रॉस कैपेसिटी यूटिलाइजेशन मल्टिपल (GCM) की गणना लागू नही), पांच वार्षिक किश्तों में, अनुमन्य

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

		12 प्रतिशत तक बूस्टर्स सहित प्रदान की जाएगी। *नोट: इस दर को औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति 2022 के अंतर्गत प्रदत्त पूंजीगत सब्सिडी की उच्चतम निश्चित दर अनुमन्य किया जाएगा या आवेदक द्वारा चयनित विकल्प के अनुसार सौर पीवी विनिर्माण परियोजना एवं नवीकरणीय ऊर्जा ब्लॉक हेतु पात्र पूंजी निवेश पर लागू किया जायेगा।
4	नवाचार हब/उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने हेतु नोएडा में 1.5 एकड़ उपयुक्त भूमि का 100 प्रतिशत भूमि सब्सिडी सहित आवंटन।	औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति 2022 के विद्यमान प्राविधानों के अनुसार उत्कृष्टता केंद्र(CoE) की स्थापना के लिए रू. 10.00 करोड़ की सब्सिडी अनुमन्य होगी।
5	औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति 2022 के अनुसार अनुसंधान एवं विकास केंद्र स्थापित करने हेतु अनुदान।	विद्यमान नियमों के अनुसार उत्कृष्टता केंद्र(CoE) अथवा अनुसंधान एवं विकास केन्द्र(R&D Centre) हेतु 50 प्रतिशत तक रू. 10.00 करोड़ का अनुदान अनुमन्य होगा।
6	पूंजीगत सब्सिडी के अंश के रूप में किराए की सुविधा में 1.5 गीगावॉट सौर मॉड्यूल संयंत्र को सम्मिलित किया जाना।	यह परियोजना 10 वर्ष हेतु किराये पर ली गई भूमि पर है, जिसे प्रस्तावित सुविधायें अनुमन्य नहीं की जा सकती। उक्त के अतिरिक्त इस प्रोजेक्ट पर कार्य लगभग पूर्ण है।
ब. अन्य प्रोत्साहन		
7	100 प्रतिशत हरित ऊर्जा बैंकिंग (पीक एवं ऑफ पीक घंटों के मध्य)	विद्यमान नियमों के अनुसार
8	90 प्रतिशत भू-आच्छादन की अनुमति	set back नियमों के साथ 75 प्रतिशत तक Ground Coverage अनुमन्य होगा।
9	विभिन्न परियोजना स्थलों (ग्रेटर नोएडा एवं हाथरस व बुन्देलखण्ड) का एकल परियोजना के रूप में संयोजन।	उत्तर प्रदेश में निवेश प्रस्ताव के पात्र पूंजी निवेश की गणना हेतु विभिन्न परियोजना स्थलों (ग्रेटर नोएडा एवं हाथरस व बुन्देलखण्ड) का एकल परियोजना के रूप में संयोजन माना जायेगा।

नोट-

1. बुन्देलखण्ड क्षेत्र में सौर ऊर्जा ब्लॉक हेतु भूमि आवेदक द्वारा निजी स्रोतों से स्वयं क्रय की जाएगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

2. उपरोक्त बिंदु 1 एवं 2 में इंगित प्रोत्साहन के अतिरिक्त उपरोक्त उल्लिखित वित्तीय प्रोत्साहनों का वितरण वाणिज्यिक संचालन प्रारम्भ होने की तिथि के उपरांत ही किया जाएगा।
3. एकल परियोजना के रूप में विभिन्न स्थानों/(क्षेत्रों) के कस्टमाइज़्ड प्रोत्साहन हेतु आवेदन विस्तृत गणना संदर्भ हेतु **संलग्न (अनुलग्नक-1)** है।

शर्त/प्रतिबन्ध:

1. प्रश्नगत औद्योगिक इकाई को जिन सुविधाओं/रियायतों हेतु धनराशि का वितरण किया जाना प्रस्तावित है, वह 'उ0प्र0 औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2022' तथा सुसंगत शासनादेशों के अनुसार प्रावधानित सीमा के भीतर, पात्र पूंजी निवेश के वास्तविक सत्यापन के अधीन एवं तत्सम्बन्धी शर्तों के अनुसार अनुमन्य होंगी।"
2. उ०प्र० विद्युत नियामक आयोग की सी०आर०ई० विनियामवली 2019 के अनुसार रिन्यूवेबल ऊर्जा जेनरेटर और वितरण लाईसेंसी के मध्य सहमति अनुसार ऊर्जा बैंकिंग की व्यवस्था है। तत्क्रम में उ०प्र०पाकालि०/वितरण लाईसेंसियों द्वारा 25 प्रतिशत की सीमा तक ऊर्जा बैंकिंग की जाती है।
3. इकाई द्वारा बुंदेलखण्ड क्षेत्र में निजी स्रोत से प्राप्त की जाने वाली भूमि के संबंध में राजस्व विभाग के अधिनियमों/नियमों/नियमावली एवं अन्य सुसंगत शासनादेशों तथा मा0 न्यायालय द्वारा समय-समय पर पारित ओदशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए अग्रेतर कार्यवाही किये जाने की अपेक्षा प्रश्नगत औद्योगिक इकाई से की जाती है।

संलग्नक: यथोक्त।

भवदीय,

अनिल कुमार सागर

प्रमुख सचिव।

संख्या-45/2024/2071(1)/77-6-2024-01(केस-टू-केस/IIEP-2022)/2024तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार, लेखा परीक्षा (प्रथम एवं द्वितीय) उ0प्र0, प्रयागराज।
2. मुख्य स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
3. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।
4. निजी सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
5. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/वित्त, न्याय, नियोजन, एमएसएमई, स्टाम्प एवं निबन्धन, राज्यकर/राजस्व/ऊर्जा/विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

6. आयुक्त एवं सचिव, उ0प्र0 राजस्व परिषद, लखनऊ।
7. आयुक्त स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन, उ0प्र0।
8. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीसीडा/यूपीडा/नोएडा/ग्रेटर नोएडा/यीडा/गीडा/बीडा।
9. मण्डलायुक्त, झांसी।
10. जिलाधिकारी, हाथरस/झांसी।
11. प्रबंध निदेशक, पिकप।
12. निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, ऐशबाग को इस आशय से प्रेषित कि शासनादेश की 100 प्रतियां मुद्रित कराकर औद्योगिक विकास अनुभाग-6 को उपलब्ध कराते हुए समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी को प्रेषित करने का कष्ट करें।
13. नियोजन अनुभाग-1/वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-6/ वित्त (आय- व्ययक) अनुभाग-4, उत्तर प्रदेश शासन।
14. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

ओम प्रकाश यादव

संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

अनुलग्नक – 1

प्रस्तावित गणना

भाग–1 : आवेदक द्वारा प्रस्तावित पूंजी निवेश

₹ करोड़

	विवरण	सौर मॉड्यूल हेतु	नवीकरणीय ऊर्जा हेतु	कुल योग
1	भूमि की लागत (वास्तविक मूल्य / आवंटन मूल्य)	891.00	222.00	1,113.00
2	स्टाम्प ड्यूटी	-	-	-
3	पंजीकरण शुल्क	-	-	-
4	भवन निर्माण की लागत	740.00	154.00	894.00
5	संयंत्र व मशीनरी	4,010.00	1,753.00	5,763.00
6	अन्य निर्माण की लागत	1,102.00	608.00	1,710.00
7	इन–हाउस अनुसंधान एवं विकास केंद्र सहित कोई अन्य लागत (यदि लागू हो)	-	-	-
8	प्राथमिक व्यय	182.00	107.00	289.00
9	आईडीसी	410.00	120.00	530.00
10	कंटीन्जेंसी	1,010.00	90.00	1,100.00
अ	**प्रस्तावित निवेश (PI) (अ)**	**8,345.00**	**3,054.00**	**11,399.00**
	कटौतीः अपात्र लागत (औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति के प्रस्तर 12.1.6 एवं 12.1.7 के अनुसार)			
11	स्टाम्प ड्यूटी	-	-	72.00
12	पंजीकरण शुल्क	-	-	10.00
13	प्राथमिक व्यय	182.00	107.00	289.00
14	आईडीसी	410.00	120.00	530.00
15	कंटीन्जेंसी	1,010.00	90.00	1,100.00
	कुल (ब)	**1,602.00**	**317.00**	**2,001.00**
ब	**कुल पूंजी निवेश (TCI) ग= (अ–ब)**	**6,743.00**	**2,737.00**	**9,399.00**
16	भूमि एवं भवन निर्माण की वास्तविक लागत	1,631.00	376.00	2,007.00
17	कुल पूंजी निवेश का प्रतिशत	**24%**	**14%**	**21%**
18	भूमि की लागत **	891.00	222.00	1,031.00
19	भवन निर्माण की लागत	740.00	154.00	894.00
20	संयंत्र व मशीनरी	4,010.00	1,753.00	5,763.00
21	अन्य निर्माण की लागत	1,102.00	608.00	1,710.00
C	**पात्र पूंजी निवेश ECI (d)**	**6,743.00**	**2,737.00**	**9,399.00**
	पूंजी निवेश का प्रतिशत (ED के बाद)	**100%**	**100%**	

** ***नोट*** *: दोनों परियोजनाओं हेतु आवेदक द्वारा अनुमानित एवं प्रस्तुत डीपीआर के अनुसार भूमि का मूल्य।*

भाग–2 : पात्र पूंजी निवेश (भूमि की संशोधित लागत के उपरांत)

(प्रस्ताव के अनुसार एवं गणना के उपरांत)

	विवरण	सौर मॉड्यूल हेतु	नवीकरणीय ऊर्जा हेतु	कुल योग
1	भूमि की लागत (*वर्किंग नोट–1)*	**436	*222	658
2	भवन निर्माण की लागत	740	154	894
3	संयंत्र व मशीनरी	4,010	1753	5763
4	अन्य निर्माण की लागत	1,102	608	1710
पात्र पूंजी निवेश (प्रोत्साहन की गणना हेतु)		**6288**	**2737**	**9025**

नोट :

*i. **भूमि का मूल्य संबंधित प्राधिकरणों की प्रचलित दरों के अनुरूप है। (निम्नलिखित वर्किंग नोट–1)*

*ii. * सौर परियोजना हेतु भूमि की लागत आवेदक द्वारा प्रस्तुत अनुमान के अनुसार विचारित की जाएगी।*

*** **वर्किंग नोट–1** : भूमि की दरों की गणना हेतु*

स्थान	प्रस्तावित क्षेत्रफल एकड़ में	प्रस्तावित क्षेत्रफल वर्गमीटर में	दर प्रति वर्ग मीटर	कुल मूल्य (₹करोड़ में)
ईकोटेक–16 ग्रेटर नोएडा	50	2,02,343.00	14384.46*	291.06
उ.प्र. राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण (सालेमपुर औद्योगिक क्षेत्र)	103	4,16,826.58	3475*	144.85
कुल योग				**435.91**

भाग–3 संस्तुत पैकेज

औद्योगिक निवेश एवं रोजगार नीति 2022 के अनुसार इच्छित केस–टू–केस स्वीकृत पैकेज

(अनुमानित आंकड़े ₹करोड़ में)

संस्तुत पैकेज

1 **पूंजीगत सब्सिडी का प्रोत्साहन**

शीर्ष	सौर विनिर्माण	नवीकरणीय ऊर्जा	कुल लागत
भूमि की लागत	436	222	658
प्रोत्साहन राशि			
75 प्रतिशत की भूमि सब्सिडी	327		327
100 प्रतिशत की स्टाम्प ड्यूटी	31	16	46
कुल प्रोत्साहन राशि	**357**	**16**	**373**

2 **पूंजीगत सब्सिडी**

5 वर्षों में 30 प्रतिशत

अ) पात्र पूंजी निवेश के घटक

शीर्ष	सौर विनिर्माण	नवीकरणीय ऊर्जा	कुल लागत
भूमि की लागत	-	222	222
भवन निर्माण की लागत	740	154	894
संयंत्र व मशीनरी	4,010	2,361	6,371
अन्य निर्माण की लागत	1,102	-	1,102
कुल	**5,852**	**2,737**	**8,589**
ब) *प्रोत्साहन राशि*			
बेसिक का 30 प्रतिशत	1,756	821	**2,577**
बूस्टर्स 12 प्रतिशत	702	328	**1,031**
कुल प्रोत्साहन धनराशि	**2,458**	**1,150**	**3,607**
वार्षिक (5 वर्षों हेतु)			**721**

3	**उत्कृष्टता केंद्र** – 100 प्रतिशत भूमि सब्सिडी सहित नवाचार हब/उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना हेतु नोएडा में उपयुक्त 1.5 एकड़ भूमि का आवंटन।	लागू नहीं
	– वित्तीय अनुदान	**10**

4	औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति 2022 के अनुसार अनुसंधान एवं विकास केंद्र स्थापित करने हेतु अनुदान	**10**
	कुल अनुमानित प्रोत्साहन धनराशि	**4,000**
	एनपीवी	**3,366***

**नोट : अनुमानित दर 6.5 प्रतिशत*

वार्षिक अनुमान

वर्ष	पूंजी	भूमि	स्टाम्प ड्यूटी	अनुसधान एवं विकास	उत्कृष्टता केंद्र	Net O/f	PV @ 6.5%
1	721	327	46	5	5	1104	1037
2	721			3	3	726	641
3	721			3	3	726	601
4	721					721	561
5	721					721	527
	3607	**327**	**46**	**10**	**10**	**4000**	**3366**

नोट:

1) तीन स्थलों पर, यथा– गौतमबुद्ध नगर, पश्चिमांचल एवं बुन्देलखण्ड में विस्तारित परियोजना को एक ही परियोजना के रूप में विचार किया जाएगा।
2) औद्योगिक निवेश एवं रोजगार नीति 2022 के अंतर्गत प्रदत्त 12 प्रतिशत के समस्त बूस्टर्स, शर्तों की पूर्ति के अधीन प्रदान किए जाएंगे, यथा– पारिस्थितिकी तंत्र हेतु स्थानीय अधिप्राप्ति इत्यादि।